

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

2रा तल्ला, राजेन्द्र जवान भवन-सह-सैनिक बाजार, मेन रोड, राँची - 834001.

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची ने (1) JSERC (Compensation to Victims of Electrical Accidents) Regulations, 2018 (2) JSERC (Operation of Parallel Licensees) Regulations, 2018 का प्रारूप आयोग के वेबसाइट www.jserc.org पर दिनांक 17.5.2018 को जारी करते हुए दिनांक 4.6.2018 तक सुझाव/आपत्ति/मंतव्य मांगा गया था ।

पुनः JSERC (Electricity Supply Code) Regulations, 2015 के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रारूप आयोग के वेबसाइट www.jserc.org पर दिनांक 9.8.2018 को जारी करते हुए दिनांक 27.8.2018 तक आपत्ति/सुझाव/मंतव्य मांगा गया था ।

उपरोक्त तीनों विनियमनों को अंतिम रूप देने के पूर्व एवं पारदर्शिता बरतने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची के द्वारा जन-सुनवाई 24.09.2018 को उनके सामने दर्शाये समय एवं स्थान पर होना सुनिश्चित किया गया है :-

विनियमन का नाम	जन-सुनवाई की तिथि एवं समय	जन-सुनवाई का स्थान
JSERC (Compensation to Victims of Electrical Accidents) Regulations, 2018	24.09.2018 (सोमवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से	इण्डीयन मेडिकल एसोसीएशन (IMA) के सभागार, करमटोली चौक के नजदीक, राँची ।
JSERC (Operation of Parallel Licensees) Regulations, 2018	24.09.2018 (सोमवार) 12:00 बजे दोपहर से	इण्डीयन मेडिकल एसोसीएशन (IMA) के सभागार, करमटोली चौक के नजदीक, राँची ।
JSERC (Electricity Supply Code) Regulations, 2015 में संशोधन	24.09.2018 (सोमवार) 1:00 बजे अपराह्न से	इण्डीयन मेडिकल एसोसीएशन (IMA) के सभागार, करमटोली चौक के नजदीक, राँची ।

सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता, उपभोक्ता-समूह एवं विज्ञप्तिधारियों से अनुरोध है कि उक्त जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना सुझाव एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें । इच्छुक व्यक्ति/संस्था प्रारूप की प्रति आयोग से भी प्राप्त कर सकते हैं ।

आदेशानुसार

सचिव